

कार्यालय जनपद न्यायाधीश बुलन्दशहर।

प्रशासनिक आदेश-13A/2025  
दिनांक- 13/01/2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या- 590 / Admin. (E-1) Section/ XC-04/Allahabad/ Dated: 13-01-2025 के द्वारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, के अधीन दिनांक 14.01.2025 को मकर संक्राति के पर्व पर प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय के उपरोक्त पत्र में दिये निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायालय बुलन्दशहर में दिनांक 14.01.2025 को मकर संक्राति के पर्व पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी वर्ष 2025 के कैलेण्डर के पैरा संख्या-07 के अनुपालन में पूर्व में घोषित अतिरिक्त अवकाश के स्थान पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

घोषित किये गये अवकाश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित की जाये।

समस्त सम्बन्धित सूचित हों।

13.1.25  
(मंजीत सिंह श्योराण)  
जनपद न्यायाधीश,  
बुलन्दशहर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बुलन्दशहर।
2. पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण, बुलन्दशहर।
3. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, जनपद बुलन्दशहर।
4. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
6. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुलन्दशहर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. अधीक्षक, जिला कारागार बुलन्दशहर।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर।
9. जिला अभियोजन अधिकारी, बुलन्दशहर।
10. समस्त बार एसोसियेशन, बुलन्दशहर को सूचनार्थ।
11. केन्द्रीय नाजिर को जनपद न्यायालय बुलन्दशहर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12. सिस्टम आफिसर आदेश की सूचना जनपद न्यायालय बुलन्दशहर की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।